

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जा  
कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।  
राज्यविद्यत विषय पर यदि पूर्ण में पञ्च  
व्यवहार हुआ हो तो पञ्च क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा हो जाए जिससे सुनिधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/ ५२०७

दिनांक: १७/०८/१२

### // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध जय श्री राम शिक्षा महाविद्यालय, मुरैना को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/लंचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा-पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
- (0751-2442868)
- (2) प्रो. आई.के. पात्रो, आचार्य, न्यूरो साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) श्रीमती सुनीता तिवारी, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, गांधिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉर्क, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडिलेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति भव प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉर्क की विद्युतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अच्युक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त निरीक्षण समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जगा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जगा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जाएगी। यदि निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः विरस्त हो जाएगी और पुनः निरीक्षण समिति परिवर्तन कर गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जगा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरत अधीक्षक, कार्यालय अधायक प्राचार्य लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / टी.ए. / मालव ग्राम महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अच्युक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निरीक्षण कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सनपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)